District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 65 of 2018

(Jamui Sc.St. P.S. Case No.- 39/2017)

Date of Judgement : 10-03-2026

State of Bihar through informent Dilip Manjhi Vs. Valmiki Singh & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक दिलीप मांझी

बनाम

1. **बाल्मिकी सिंह,** उम्र 70 वर्ष, पिता–स्व छोटू सिंह,
2. **रामानन्द सिंह,** उम्र 49 वर्ष, पिता–बाल्मिकी सिंह,
3. **रवि कुमार उर्फ रवि सिंह,** उम्र 29 वर्ष, पिता–रामानन्द सिंह,

सभी निवासी ग्राम–कैयार, थाना–सिकंदरा, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री सुनील कुमार, विद्वान अधिवक्ता**

सूचक की ओर से– **श्री रवि सुमन, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–10.03.2026

निर्णय

1. कांड के सूचक दिलीप मांझी पिता–स्व0 मोहन मांझी के द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस.सी./एस.टी. थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जमुई एस.सी./एस.टी. थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–39/2017 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 17/2018, भा0द0वि 341, 323 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड के सूचक दिलीप मांझी पिता–स्व0 मोहन मांझी द्वारा थानाध्यक्ष, थाना जमुई एस.सी./एस.टी. को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–05.09.2017 को समय करीब 3 बजे दोपहर में दिलीप मांझी पारस सिंह के पोखर के पास बकरी चरा रहा था। उसी समय बाल्मिकी सिंह, रामानंद सिंह उर्फ ढुल्ली सिंह एवं रवि सिंह पोखर पर आये तो उसने उनके यहां काम किया था जिसका मजदूरी मांगा तो उसे जाति सूचक शब्द बोलते हुए कहा कि ''मादरचोद मुसहर तुम रास्ते में पैसा मांगते हो, तुम्हारा मन बढ गया है।'' तीनों आदमी मिलकर उसे लप्पड़ थप्पड़ से मारने लगे तो वह चिल्लाने लगा तो बहुत से आदमी आये और उसे

अधिक मार खाने से बचाया तो थाना आकर लिखित आवेदन दिया।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2025 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मात्र एक साक्षी दिलीप मांझी (सूचक) का साक्ष्य करवाया गया है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 दिलीप मांझी** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह केस उसने किया है। घटना दिनांक–05.09.2017 समय 3 बजे दिन की है। वह बकरी चराने के लिए पारस सिंह के पोखर पर गया था। उसी समय वाल्मिकी, रामानंद सिंह एवं रवि सिंह ने उसके साथ गाली गलौज किया। उसने लिखित आवेदन थाना में दिया, जिस पर उसने अपना टिप्पा बनाया है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त वाल्मिकी सिंह को पहचानता है। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी ने कथन किया है कि वह नहीं जानता है कि यह केस पारस सिंह ने कराया था। उसकी बकरी वाल्मिकी सिंह के फसल को चर गया था इसलिए बाता–बाती हुई थी तब थाना में गया और टिप्पा लगाया था। वाल्मिकी सिंह ने उसे जाति कहकर गाली गलौज नहीं किया और ना ही उसे अपमानित किया था। जहां बकरी चरा रहा था वहां गांव घर का कोई नहीं था। थाना में उसने सादा कागज पर टिप्पा लगाया था।

7. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

8. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1, जो इस वाद का सूचक है, ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी बकरी वाल्मिकी सिंह के फसल चर गया था इसलिए बाता–बाती हुई थी तो थाना में गया और टिप्पा लगाया था। **वाल्मिकी सिंह ने उसे जाति सूचक गाली गलौज नहीं किया और ना ही उसे अपमानित किया था। जहां बकरी चरा रहा था वहां गांव घर का कोई नहीं था। थाना में उसने सादा कागज पर टिप्पा लगाया था।** इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. बाल्मिकी सिंह, 2. रामानंद सिंह एवं 3. रवि कुमार उर्फ रवि सिंह** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–10.03.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–10.03.2026